ई–मेल द्वारा/अतिआवश्यक/समयबद्ध

कार्यालयः– जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, मेरठ।

पत्रांकः 724 /पि0व0क0/छात्रवृत्ति/2024–25 दिनांक 06 नवम्बर, 2024

सचिव/निदेशक/रजिस्ट्रार/प्राचार्य/प्रधानाचार्य/छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी
समस्त, विश्वविद्यालय, डिग्री कालेज, मैडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज,
मैनेजमेण्ट कालेज, पॉलीटेक्निक, आई0टी0आई0,
जनपद– मेरठ।

विषयः– वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024–25 हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े को छोड़कर) दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, पिछड़ा वर्ग कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक सं0 2182/पि0व0क0/2024–25 दिनांक 05 नवम्बर, 2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष/शैक्षिक सत्र 2024–25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु शासन स्तर से निर्गत समय–सारिणी के अनुसार निम्न कार्यवाही आपके स्तर से किया जाना अपेक्षित हैः–

1. वित्तीय वर्ष 2024–25 में **दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत ओ0बी0सी0 के समस्त पात्र छात्र/छात्राओं को निर्धारित समयान्तर्गत आनलाइन आवेदन कराये जाने आदि के सम्बन्ध में कक्षाध्यापक के साथ बैठक आहूत करते हुए निर्देश जारी किये जाये कि वर्तमान में स्कालरशिप पोर्टल छात्रों के आवेदन हेतु खुला है, सभी पात्र छात्र/छात्राओं का आवेदन कराये जाने का दायित्व सम्बन्धित शिक्षण संस्थान के कक्षाध्यापक का होगा तथा कक्षाध्यापक द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र सम्बन्धित प्राचार्य/प्रधानाचार्य को उपलब्ध कराया जाएगा कि उनकी कक्षा के सभी पात्र छात्रों द्वारा आवेदन कर लिया गया है तथा कोई भी पात्र छात्र आवेदन से वंचित नहीं हैं।**

2. दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु पात्र छात्रों के आवेदन शिक्षण संस्था स्तर से समयान्तर्गत अग्रसारित कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करें तथा सम्बन्धित **जिला विद्यालय निरीक्षक/सम्बन्धित विश्वविद्यालय/सम्बन्धित एफिलिऐटिंग एजेन्सी स्तर से सम्बन्धित शिक्षण संस्था की प्रोफाइल तथा सीट वेरीफिकेशन कराने से सम्बन्धित कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।**

3. दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत मास्टर डाटा के सत्यापन आदि की प्रक्रिया निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

4. दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत ओ0बी0सी0 के समस्त पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की धनराशि उपलब्ध बजट की सीमा तक आधार पेमेन्ट ब्रिज प्रणाली के माध्यम् से छात्र के आधार सीडिंग बचत बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जायेगी। छात्र को बैंक शाखा के माध्यम् से बैंक खाते में आधार नम्बर सीडिंग व एन0पी0सी0आई0 से मैपिंग कराना अनिवार्य होगा (सम्बन्धित शिक्षण संस्थाए आधार नम्बर सीडिंग व एन0पी0सी0आई0 से मैपिंग की सूचना अपने विद्यालय के सूचना पट पर अवश्य चस्पा करें)। संस्थान समस्त कक्षाध्यापकों के साथ बैठक आहूत कराकर इस आशय का दिशा–निर्देश निर्गत कराये कि छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रों के बैंक खाते में आधार नम्बर सीडिंग व एन0पी0सी0आई0 से मैपिंग करने की कार्यवाही समयान्तर्गत पूर्ण कर ली जाये, ताकि भविष्य में छात्रवृत्ति की धनराशि छात्रों के खातों में अन्तरित कराये जाने की प्रक्रिया में फेल्ड ट्रांजेक्शन न्यून रहे।

5. समस्त शिक्षण संस्थान यह सुनिश्चित करें कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति

क्रमशः–2

HODs & Principals
Kindly take n.a.
8/11/2024

/शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक मुस्लिम से सम्बन्धित डाटा को पिछड़ा वर्ग के लॉगिन से कदापि लॉक/अग्रसारित न किया जाए। यदि ऐसे डाटा को आपके स्तर से अग्रसारित किया जाता है एवं जनपद/निदेशालय स्तर पर परीक्षण में अल्पसंख्यक मुस्लिम से सम्बन्धित डाटा पाया जाता है तो सम्बन्धित शिक्षण संस्थान के सचिव/निदेशक/रजिस्ट्रार/प्राचार्य/प्रधानाचार्य/छात्रवृत्ति नोडल अधिकारी सम्बन्धित का शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुसार कार्यवाही न किये जाने का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

6. वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति योजानान्तर्गत यदि आपकी संस्था में ग्रुप–01 पाठ्क्रम से सम्बन्धित किसी भी छात्र की दैनिक उपस्थिति आधार आधारित बायोमैट्रिक/फेस ऑथन्टिकेशन प्रणाली लागू करने हेतु Biometrc/Facial डिवाइस स्थापित नही किया जाता है। ऐसी संस्था के ग्रुप–01 में अध्ययनरत् एवं आवेदन करने वाले पिछड़े वर्ग के किसी भी छात्र की दैनिक उपस्थिति आधार बेस्ड बायोमैट्रिक/फेशियल ऑथन्टिकेशन के माध्यम से सुनिश्चित नही की जाती है, जिसके कारण सम्बन्धित छात्र छात्रवृत्ति के मानक उपस्थिति (75%) की शर्त पूर्ण न करने के कारण दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति के भुगतान से वंचित रहता है, तो इस हेतु सम्बन्धित संस्था पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

उपरोक्त बिन्दुओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलिता न बरती जाए।

06/11/2024

(शैलेश राय)
जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
मेरठ।

पृष्ठांकन संख्या तददिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिख्रित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निदेशक, पिछडा वर्ग कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. जिलाधिकारी, मेरठ।
3. मुख्य विकास अधिकारी, मेरठ।
4. उप निदेशक, पिछड़ा वर्ग कल्याण, मेरठ मण्डल, मेरठ।
5. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी/जिला विद्यालय निरीक्षक, मेरठ को इस आशय के साथ संदर्भगत प्रकरण में अपने स्तर से समीक्षा करते हुए समयान्तर्गत कार्यवाही पूर्ण कराने का कष्ट करें।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी,
मेरठ।